(54)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र0-06-विविध-25/2008 - 52 /खाद्य,पटना/दिनांक 6.1.09

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/शिवहर/पूर्वी चम्पारण/प0 चम्पारण/
दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/सहरसा/सुपौल/खगड़िया/कटिहार
एवं भागलपुर ।

विषयः- ग्रामीण अनाज बैंकों का स्थापना एवं कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 2355 दिनांक 09.05.2008 द्वारा वर्ष 2007-08 में भारत सरकार द्वारा 415 ग्रामीण अनाज बैंकों की स्थापना का लक्ष्य एवं मार्गदर्शिका की प्रति आपको प्रेषित की जा चुकी है । पुनः विभागीय पत्रांक 34 (बजट) दिनांक 05.12.2008 द्वारा कैश कम्पोनेन्ट के रूप में प्रति ग्रामीण अनाज बैंक 12200/- रू0 की दर से प्राप्त प्रस्तावों के विरूद्ध राशि विमुक्त की जा चुकी है ।

2. अनेक स्मार पत्रों के बावजूद सहरसा जिले से निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, जो खेदजनक है । मुजफ्फरपुर जिला से 10 ग्रामीण अनाज बैंक का प्रस्ताव आना बाकी है । जिला पदाधिकारी सहरसा एवं मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि शीघ्र वांछित प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें ।

3. भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में ग्रामीण अनाज बैंक का कार्यान्वयन चयनित ग्राम पंचायत/ग्राम सभा/महिला स्वयं सहायता समूह अथवा अच्छे कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों से कराई जा सकती है । इस योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित संस्था/संगठन द्वारा प्रत्येक ग्रामीण अनाज बैंक हेतु 3-5 व्यक्तियों की कार्यकारी समिति (Executive committee) बनाई जायेगी जिसमें कम से कम एक महिला का रहना आवश्यक है ।

4. <u>प्रशिक्षण</u> - ग्रामीण अनाज बैंक के कार्यकारी सदस्यों के लिए प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों अथवा निपुण सरकारी सेवकों की सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है । चयनित गैर सरकारी संगठनों को एक वर्ष के लिए समूह के साथ सहारा देने के लिए सम्बद्ध किया जा सकता है । इससे समूह में कार्य का वितरण करने, उधार देने एवं वापस लेने के लिये नियम बनाना, खाता रखने और खाद्यान्नों की खरीदगी के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि के रूप में समूह का संस्थागत विकास होगा ।

ऐसे गैर सरकारी संगठन को प्रशिक्षण देने एवं पर्यवेक्षण करने हेतु 1400/-रू0 की दर से एकबारगी अनुदान का भुगतान किया जायेगा ।

5. <u>भण्डारण</u> :- ग्रामीण अनाज बैंक के खाद्यान्न का भण्डारण सामान्यतया सामुदायिक स्थानों पर किया जायेगा । इसका भंडारण बिन (Bins) अथवा ग्रामीण गोदामों में किया जायेगा । स्थानीय ग्राम पंचायत ''काम के बदले अनाज योजना'' के तहत भंडार के निर्माण में ग्रामीण अनाज बैंक की कार्यकारी समिति को मदद करेगी । कार्यकारी समिति खाद्यान्नों का उचित भंडारण सुनिश्चित करेगी । जहॉ तक संभव हो वैज्ञानिक भंडारण के प्रयोजनार्थ ग्रामों द्वारा परम्परागत ढॉचों का सृजन किया जा सकता है ।

प्रत्येक अनाज बैंक के लिए भंडारण, बाट एवं तराजू के लिए 6,000/- रू0 का एक मुश्त अनुदान निर्धारित किया गया है ।

6. <u>अनाज ऋण की स्वीकृति एवं वापसी की प्रक्रिया</u> :- अनाज उधार देने एवं वापसी करवाने के काम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी समिति आम सभा की बैठक बुलाएगी तथा सभी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगी । उधार दी जाने वाली मात्रा एवं वापसी की अवधि समूह द्वारा स्वयं तय की जायेगी । एक मुश्त के रूप में एक परिवार को अधिकतम एक क्वींटल तक अनाज दिया जा सकता है ।इस योजनान्तर्गत एक वर्ष की अवधि के अन्दर बिना कोई ब्याज लिये अनाज के रूप में वापसी करने का प्रावधान है । उधार दिये गये अनाज की वापसी सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन सदस्यों की पात्रता के साथ जोड़ दिया जायेगा । बैंक में भंडारित खाद्यान्न का एक वर्ष के अन्दर लेन-देन नहीं होने की स्थिति में इसको सड़ने से बचाने के लिए बैंक के अनाज का बदलैन लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत समूह के सदस्यों को मिलने वाले अनाज के साथ की जा सकती है ।

7. <u>परिवहन</u> :- भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से ग्रामीण अनाज बैंक के भंडार तक 90/-रू0 प्रति क्वींटल की दर से 40 क्वींटल खाद्यान्न का परिवहन व्यय हेतु प्रति बैंक 3600/-रू0 निर्धारित है । उक्त राशि का 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

8. **अनुश्रवण एवं मूल्यांकण** :- ग्रामीण अनाज बैंकों के अनुश्रवण एवं प्रशासनिक लागत के रूप में 3000/-रू0 प्रति ग्रामीण अनाज बैंक की दर से राशि अनुमान्य होगा, जिसका भुगतान ग्रामीण अनाज बैंक के कार्यकारी समिति को किया जायेगा ।

ग्रामीण अनाज बैंक से सम्बद्ध संगठन यथा प्रभारी गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी समूह का दायित्व होगा कि वे पंचायत के ग्रामीण अनाज बैंकों का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त को समर्पित करेगा । जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त प्रतिमाह संलग्न प्रपत्र में जिले का समेकित प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10वीं तिथि तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई कर वांछित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

6/1/09

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र0-06-विविध-25/2008 52 /खाद्य,पटना/दिनांक 6.1.09

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णियां, भागलपुर एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6/1/09

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र0-06-विविध-25/2008 52 /खाद्य,पटना/दिनांक 6.1.09

प्रतिलिपि - संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6/1/09

सरकार के सचिव ।

UTILIZATION CERTIFICATE FOR THE VILLAGE GRAIN BANKS ESTABLISHED IN THE DISTRICT OF DURING YEAR-

DISTRICT- MONTH-

S. N0	N0. Of VGBs sanctioned	Amount Sanctioned as Cash Component (Rs.)	N0. Of VGBs established	Funds Utilized Under Cash Component (Rs.)	Unspent Funds lying With the District (Rs.)	Quantity Of food - grains Sanctioned as Food Component (MT)	Quantity Of foodgrains Lifted Under Food Component (MT)	Balance Quantity of Foodgrains is to be lifted under Food Component. (MT)	Whether all VGBs Reported as Established are actually functioning as on
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature
District Magistrate/D.D.C